

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संस्था एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के नाम से ही किराये वाले भू-मिलों तथा परिसरों के नाम से।
अन्यथा विद्यार्थी पर कोई भी प्रकार का भार नहीं होगा।
अन्यथा विद्यार्थी पर कोई भी प्रकार का भार नहीं होगा।



संस्था : ग्वालियर
दूरभाष : 0091-0751-2442401
विश्वविद्यालय :
2442462 (विद्यार्थी)
फैक्स : 0091-0751-2341768
E-mail :
jphule_univ@rediffmail.com
Website :
http://www.jvu.ac.in

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/5903

दिनांक : 24/01/13

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2013 को 94 क्रमांक (44) के विनियमनुसार तर्जिमा संत लाल शिवा महाविद्यालय, तन्वीपुरा, ग्वालियर को सत्र 2010-11 एवं 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संघटित बी.एड. कार्यक्रम के लिये अर्थात् सम्बद्धता विनियम शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्त/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय द्वारा आज दिनांक 15/12/2012 तक निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षण संबंधित पत्रावली प्राप्त नहीं की गई है। इस संबंध में समिति के संयोजक द्वारा कई बार दूरभाष (09927243013) पर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया। परन्तु महाविद्यालय द्वारा विज्ञापन भी तैयार हो सके नहीं हो सका।
2. तत्काल समिति के संस्करण द्वारा डी.सी.टी.सी. कार्यालय में उपरोक्त महाविद्यालय संबंधित नशर्तों का अवलोकन किया गया।
3. विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए पत्र क्रमांक एफ/सम्बद्धता/2010/3438 दिनांक 27/07/2011 के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2009-10 के लिए महाविद्यालय में संघटित बी.एड. कार्यक्रम (100 छात्र) को अस्थायी सम्बद्धता शर्तों पर प्रदान की गई थी।
4. समिति द्वारा महाविद्यालय के निरीक्षण के समय तत्काल उपरोक्त संघटित पत्र में लगाई गयी विज्ञापन भी शर्तों का पालन महाविद्यालय द्वारा विज्ञापन तो अकादमिक तर्जों में नहीं किया गया है।
5. एन.सी.टी.ई. के मानदण्डों के अनुसार महाविद्यालय द्वारा मुख्य प्राचार्य, शिक्षकों, तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्तियां विश्वविद्यालय के माध्यम से कोलेज कोड 28(17) के तहत नहीं की गई है।
6. एन.सी.टी.ई. के मानदण्डों के अनुसार महाविद्यालय द्वारा भवन का निर्माण नहीं किया गया है।
7. एन.सी.टी.ई. के मानदण्डों के अनुसार महाविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रयोज्यताओं, व्याख्यान कक्षाएं एवं पुस्तकालय का विकास नहीं किया गया है।
8. महाविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं हेतु खेलकूद का मैदान भय सामग्री को विकसित नहीं की गई है।

अनुशंसाएं :-

सोम्य प्राचार्य, शिक्षकों, तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों, भवन, प्रयोज्यताओं, पुस्तकालय एवं खेलकूद के मैदान के अभाव में महाविद्यालय ने किन परिस्थितियों में बी.एड. कार्यक्रम का संघटन सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 में किया होगा यह एक विचारणीय प्रश्न है। चूंकि महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश सत्र 2010-11 एवं 2011-12 में किया जा चुका है। अतः केवल इतना स्पष्टिहित को ध्यान में रखते हुये समिति विनियमनुसार अनुशंसा करती है।

1. महाविद्यालय द्वारा संघटित बी.एड. कार्यक्रम हेतु (100 छात्र) सत्र 2010-11 एवं 2011-12 तदनुसार अर्थात् सम्बद्धता प्रदान की जा सकती है।
2. उपरोक्त संघटित परिस्थितियों में महाविद्यालय में संघटित बी.एड. कार्यक्रम को आगामी सत्र 2012-13 में संघटित करने हेतु अर्थात् सम्बद्धता न प्रदान करने की अनुशंसा

गन्तगी है। समिति यह भी अनुशंसा करती है कि, इसकी सूचना शीघ्र अतिशीघ्र एन.सी.टी.ई. वई दिल्ली को भेजा जाना उचित होगा।

अवेकाबुसर
कुलसचिव

प्रति,

1. प्रचारक, महर्षि वेद वेदाङ्ग शिक्षा महाविद्यालय, जंजीपुरा, न्यासिगर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुरा भवन, भोपाल।
4. संचालक अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, जयसिंह-मण्डल सभाग, सोनी महल परिसर, जयसिंह।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/सोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यासिगर।
6. सचीव, पंजाब कला प्रमाण-02, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यासिगर की ओर सुचार्द एवं आभारपूर्ण प्रतिक्रिया हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)